

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक- 186/नि०शा०/2021-22

दिनांक-02-02-2022.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०२४/रा०१६/पुरुष लाभार्थी-६० के०+रा०) के अर्न्तगत पुरुषों हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 1182.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3/2022/ 06/सत्रह-म-2022-17-1002 (002)/1/2021 दिनांक 28.01.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०२४/रा०१६/लाभार्थी-६० के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०-17 में पुरुष वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 1182.00 लाख (रू० ग्यारह करोड़ बयासी लाख मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2021 के प्रस्तर-3(1) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत पुरुष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

19- उक्त शर्तों के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 1182.00 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरुष लाभार्थी-60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

20- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (148) पर अंकित है।

मेवदीया
(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
- 4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
- 5 गार्ड फाइल।
- 6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

/ (पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक—

/नि०शा०/2021-22

दिनांक-02-02-2022.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०२४/रा०१६/पुरुष लाभार्थी-६० के०+रा०) के अर्न्तगत पुरुषों हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 1182.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3/2022/06/सत्रह-म-2022-17-1002 (002)/1/2021 दिनांक 28.01.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०२४/रा०१६/लाभार्थी-६० के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०-17 में पुरुष वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 1182.00 लाख (रू०) ग्यारह करोड़ बयासी लाख मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2021 के प्रस्तर-३(1) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत पुरुष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

19- उक्त शर्तों के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 1182.00 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय, मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरुष लाभार्थी-60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

20- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (148) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 186 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
- 4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
- 5 गार्ड फाइल।
- 6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

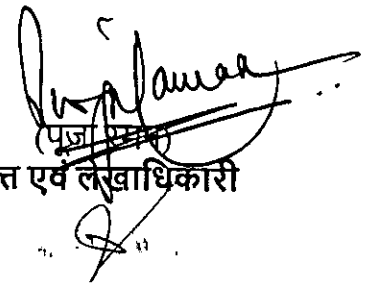
प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-001-LARGE RAS MALE 01-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसडवाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1200000 8644000	1200000 8644000
2	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 2400000 8952000	2400000 8952000
3	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1200000 13208000	1200000 13208000
4	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी 1200000 18155280	1200000 18155280
5	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1200000 8322800	1200000 8322800
6	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी 7200000 16778960	7200000 16778960
7	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 2400000 6768000	2400000 6768000
	योग	वर्तमान प्रगामी 16800000 80829040	16800000 80829040

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ अड़सठ लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़ आठ लाख उन्तीस हजार चालीस


(पूजा सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-001-MEDIUM RAS MALE 01-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएस0एस0वाई0)- (के024 रा0-
16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 4006870	600000 4006870
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 9244000	600000 9244000
3	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 2844000	600000 2844000
4	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	600000 2930400	600000 2930400
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहाराज नगर	वर्तमान प्रगामी	600000 5556000	600000 5556000
6	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 12793500	1200000 12793500
7	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 14610000	600000 14610000
8	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 13553880	600000 13553880
	योग	वर्तमान प्रगामी	5400000 65538650	5400000 65538650

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौवन लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार छः सौ पचास

(पञ्जीकरण)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

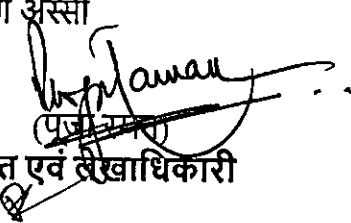
प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-001-SMALL FEED MILL MALE 01-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 720000 14273880	720000 14273880
	योग	वर्तमान प्रगामी 720000 14273880	720000 14273880

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात लाख बीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ बयालीस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ अस्सी


(प्रमाणित)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

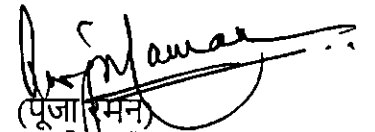
वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-001-LARGE FEED MILL MALE 01-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसवाई0)- (के024 रा0-
16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 2880000 12124000	2880000 12124000
	योग	वर्तमान प्रगामी 2880000 12124000	2880000 12124000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठाईस लाख अस्सी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ इक्कीस लाख चौबीस हजार


(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

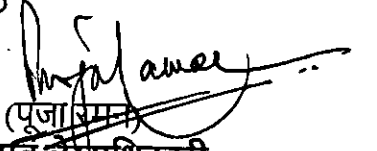
प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-001-FEED PLANT MALE 01-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16 पुरुष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 15600000 18935600	15600000 18935600
2	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी 9360000 26138960	9360000 26138960
	योग	वर्तमान प्रगामी 24960000 45074560	24960000 45074560

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ उनचास लाख साठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ पचास लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ साठ


(पूजा प्रसाद)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1

001-NEW PONDS NIRMAN MALE 01-02-2022

17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)

2405 - मछली पालन(आयोजनेतर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

01 -

03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16 पुरुष लाभार्थी-60 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त)	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वित्त)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 554000 4560870	554000 4560870	554000 4560870
2	मुजफ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 355000 2642040	355000 2642040	355000 2642040
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य, --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी 258000 3214000	258000 3214000	258000 3214000
4	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 267000 2056200	267000 2056200	267000 2056200
5	अलीगढ़-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 486000 3790000	486000 3790000	486000 3790000
6	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 703000 22513180	703000 22513180	703000 22513180
7	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 500000 10388030	500000 10388030	500000 10388030
8	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 342000 4744000	342000 4744000	342000 4744000
9	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 622000 5037400	622000 5037400	622000 5037400
10	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य, --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी 228000 2076000	228000 2076000	228000 2076000
11	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 223000 4603000	223000 4603000	223000 4603000
12	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 305000 2029520	305000 2029520	305000 2029520
13	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य, --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी 193000 1845000	193000 1845000	193000 1845000
14	शाहजहाँपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 312000 2078320	312000 2078320	312000 2078320
15	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 99000 659000	99000 659000	99000 659000
16	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 325000 3922920	325000 3922920	325000 3922920
17	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 265000 2040200	265000 2040200	265000 2040200
18	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 479000 4797080	479000 4797080	479000 4797080
19	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 238000 3082000	238000 3082000	238000 3082000
20	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी 58000 2988400	58000 2988400	58000 2988400
21	रुतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 224000 2498720	224000 2498720	224000 2498720
22	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 781000 10191000	781000 10191000	781000 10191000
23	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य, --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी 243000 1895000	243000 1895000	243000 1895000
24	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 90000 597360	90000 597360	90000 597360
25	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 145000 962880	145000 962880	145000 962880
26	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 397000 2917000	397000 2917000	397000 2917000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गेर वित्त)	योग
27	साराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य, --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी 371000 6536240	371000 6536240
28	साराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य, --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - जौनपुर	वर्तमान प्रगामी 809000 7798600	809000 7798600
29	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 664000 9616000	664000 9616000
30	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1170000 14378000	1170000 14378000
31	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी 1835000 19990280	1835000 19990280
32	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 376000 3762400	376000 3762400
33	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य, --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी 55000 375000	55000 375000
34	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 595000 8917800	595000 8917800
35	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य, --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी 193000 2685000	193000 2685000
36	सखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 335000 19270600	335000 19270600
37	सखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य, --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी 385000 4840040	385000 4840040
38	सखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य, --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी 736000 5177520	736000 5177520
39	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 444000 4352520	444000 4352520
40	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 414000 3732000	414000 3732000
41	तखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 611000 8422000	611000 8422000
42	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 271000 2364000	271000 2364000
43	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी 2160000 16648280	2160000 16648280
44	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी 144000 955720	144000 955720
45	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी 1179000 27317960	1179000 27317960
46	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपति साहूजीमहाराज नगर	वर्तमान प्रगामी 877000 6433000	877000 6433000
47	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 749000 4982600	749000 4982600
48	सलितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 256000 2154000	256000 2154000
49	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 1798000 14591500	1798000 14591500
50	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 1041000 8912350	1041000 8912350
51	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 146000 3004050	146000 3004050
52	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 72000 988040	72000 988040
53	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 1574000 16184000	1574000 16184000
54	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 88000 1209960	88000 1209960
55	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 1647000 15920880	1647000 15920880
56	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 526000 7294000	526000 7294000
57	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 1287000 11645800	1287000 11645800
58	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 162000 4905970	162000 4905970
59	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 1676000 15504760	1676000 15504760
60	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 89000 2155320	89000 2155320
61	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 231000 1536920	231000 1536920

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
62	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	182000 2329320	182000 2329320
	योग	वर्तमान प्रगामी	33840000 395021550	33840000 395021550

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया तीन करोड़ अड़तीस लाख चालीस हजार

रूपया उनतालीस करोड़ पचास लाख इक्कीस हजार पाँच सौ पचास


(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1

001-BIOFALAK TALAB NIRMAN MALE 01-02-2022

17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)

2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

01 -

03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 1008000 5568870	1008000 5568870
2	मुजफ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 672000 3314040	672000 3314040
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 672000 12796000	672000 12796000
4	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य, --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 2440000	336000 2440000
5	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य, --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 3550000	336000 3550000
6	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 2392200	336000 2392200
7	अलीगढ़-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 4126000	336000 4126000
8	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 672000 23185180	672000 23185180
9	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 5373400	336000 5373400
10	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 4939000	336000 4939000
11	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 2365520	336000 2365520
12	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 4258920	336000 4258920
13	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 2376200	336000 2376200
14	इटवा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 5133080	336000 5133080
15	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 3418000	336000 3418000
16	कतेहरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 672000 3170720	672000 3170720
17	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 10527000	336000 10527000
18	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य, --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 2231000	336000 2231000
19	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 933360	336000 933360
20	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 1298880	336000 1298880
21	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 3253000	336000 3253000
22	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 336000	336000 336000
23	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य, --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 6872240	336000 6872240
24	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य, --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - जौनपुर	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 336000 8134600	336000 8134600
25	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 3360000 12976000	3360000 12976000
26	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वित्त) 672000 15050000	672000 15050000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
27	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रणामी 1680000 21670280	1680000 21670280
28	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रणामी 672000 9589800	672000 9589800
29	सखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रणामी 672000 19942600	672000 19942600
30	सखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य, --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रणामी 336000 5176040	336000 5176040
31	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रणामी 672000 17320280	672000 17320280
32	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपति साहूजी महाराज नगर	वर्तमान प्रणामी 336000 6769000	336000 6769000
33	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 672000 5654600	672000 5654600
34	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 336000 2490000	336000 2490000
35	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 336000 4456000	336000 4456000
36	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 2352000 16943500	2352000 16943500
37	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 2688000 3676040	2688000 3676040
38	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 2016000 18200000	2016000 18200000
39	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 336000 336000	336000 336000
40	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 1344000 2553960	1344000 2553960
41	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 3360000 19280880	3360000 19280880
42	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 336000 7630000	336000 7630000
43	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 336000 11981800	336000 11981800
44	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 336000 5241970	336000 5241970
45	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 336000 15840760	336000 15840760
46	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रणामी 336000 2665320	336000 2665320
	योग	वर्तमान प्रणामी 33600000 347438040	33600000 347438040

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया तीन करोड़ छत्तीस लाख

महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया चौतीस करोड़ चौहत्तर लाख अड़तीस हजार चालीस


(पूजा शर्मा)
वित्त एवं लेखाधिकारी

संख्या: 3 /2022/06/सत्रह-म-2022-17-1002(002)/1/2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
30प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 28 जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) के अन्तर्गत सामान्य (पुरुष) वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश धनराशि रु0 1182.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18 /नि0शा0/ 2021-22 /16-19(6) दिनांक 05 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य (पुरुष + महिला) मद हेतु द्वितीय किशत के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रु0 2698.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-17 में पुरुष वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रु0 14410.97 लाख के अन्तर्गत रु0 1970.00 लाख (केन्द्रांश रु0 1182.00 तथा मैचिंग राज्यांश रु0 788.00 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में पत्रांक-W-11011/8/2020-Fy दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किशत के रूप में केन्द्रांश धनराशि रु0 2698.00 लाख अवमुक्त की गयी है। आय-व्ययक 2021-22 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत प्रनगत योजना में सामान्य पुरुष वर्ग हेतु कुल रु0 14410.97 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। द्वितीय किशत के रूप में भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 30.12.2021 द्वारा अवमुक्त उक्त कुल केन्द्रांश धनराशि रु0-2698.00 लाख में से प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार सामान्य पुरुष वर्ग हेतु रु0 1182.00 लाख (कुल का 43.82 प्रतिशत) केन्द्रांश की सीमा तक मैचिंग राज्यांश को सम्मिलित करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सकती है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) के अन्तर्गत सामान्य पुरुष वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रु0 14410.97 लाख में से उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत मात्र केन्द्रांश धनराशि रु0 1182.00 (रु0 ग्यारह करोड़ बयासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 07 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आह्वित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2)

तालिका

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र० सं०	परियोजनाओं का नाम/ वित्त पोषण (के०24+रा०16+पु०.ला०- 60,कै.+रा.)	इकाई (हे०/ सं०)	इयत लागत	कुल परियोजना लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनावार प्रस्ताव			द्वितीय किरत के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत होने वाली मात्र केन्द्रांश धनराशि की वित्तीय स्थिति	
					केन्द्रांश	राज्यांश	लामायी अंश	केन्द्रांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मीठे जल में मत्स्य पालन हेतु निवेश	694.791	4.00	2779.16	667.00	444.67	1667.50	338.40	338.40
2	वृहद आर०ए० एस०/बायोफ्लाक का निर्माण	63	50.00	3150.00	756.00	504.00	1890.00	168.00	168.00
3	मीठे जल में बायोफ्लाकतालाबों का निर्माण	207	14.00	2898.00	695.52	463.68	1738.80	336.00	336.00
4	मध्यमाकार आर०ए०एस०/ बायोफ्लाक का निर्माण	28	25.00	700.00	168.00	112.00	420.00	54.00	54.00
5	लघु मितों की स्थापना (उत्पादन क्षमता 2 टन / दिन)	15	30.00	450.00	108.00	72.00	270.00	7.20	7.20
6	वृहद मित की स्थापना (उत्पादन क्षमता 20 टन / दिन)	1	200.00	200.00	48.00	32.00	120.00	28.80	28.80
7	फिश फीड प्लांट की स्थापना (उत्पादन क्षमता 100 टन / दिन)	2	650.00	1300.00	312.00	208.00	780.00	249.60	249.60
कुल योग								1182.00	1182.00

(₹0 ब्यारह करोड बयासी लाख मात्र)

- (1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.12.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- (3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3)

- (4) वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
- (5) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया गया है।
- (6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।
- (14) ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।
- (15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।
- (16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4)

- (17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (18) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने की प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 4- उक्त शर्तों के साथ ही साथ मात्र केन्द्रांश ₹0 1182.00 लाख (₹0 ग्यारह करोड बयासी लाख मात्र) की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/ प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एक लाभार्थी परक योजना है। अतः कृपया निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदेश आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।
- 5- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बंधी जनपदों का निर्धारण सम्बंधित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।
- 6 - उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/पु0 लाभार्थी-60, के0+रा0) 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5)

7 - यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर/अशासकीय संख्या-ई-1-3505-दस-2021-2022 दिनांक-27.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव

Date: 28-01-2022 11:40:09

Reason: उप सचिव।
Approved

संख्या- 3 /2022 /06 (1) /सत्रह-म-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन 30प्र0 लखनऊ।
4. उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020-21

मोटे पैसे तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश @ Rs. 4.0 lacs/hectare

सामान्य लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)

क्र०	जनपद	क्षेत्रफल हे०	धनराशि (रु० लाख में)	कुल अनुदान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रु० लाख में)			कुल अवमुक्त धनराशि केवल केन्द्रांश
					कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	10.096	40.384	16.1536	8.34	5.00	3.34	5.00
2	फिरोजाबाद	2.954	11.816	4.7264	2.44	1.46	0.98	1.46
3	मथुरा	14.174	56.696	22.6784	11.71	7.03	4.68	7.03
4	अलीगढ़	9.800	39.200	15.6800	8.10	4.86	3.24	4.86
5	हाथरस	3.269	13.076	5.2304	2.70	1.62	1.08	1.62
6	एटा	3.300	13.200	5.2800	2.73	1.64	1.09	1.64
7	कासगंज	3.600	14.400	5.7600	2.97	1.78	1.19	1.78
8	आजमगढ़	12.010	48.040	19.2160	9.92	5.95	3.97	5.95
9	मऊ	36.263	145.052	58.0208	29.96	17.98	11.98	17.98
10	बलिया	3.900	15.600	6.2400	3.22	1.93	1.29	1.93
11	प्रयागराज	15.750	63.000	25.2000	13.01	7.81	5.20	7.81
12	कौशम्बी	1.800	7.200	2.8800	1.49	0.89	0.60	0.89
13	फतेहपुर	4.524	18.096	7.2384	3.74	2.24	1.50	2.24
14	प्रतापगढ़	4.900	19.600	7.8400	4.05	2.43	1.62	2.43
15	कानपुर नगर	4.800	19.200	7.6800	3.97	2.38	1.59	2.38
16	कानपुरदेहात	1.180	4.720	1.8880	0.97	0.58	0.39	0.58
17	इटवा	4.427	17.708	7.0832	3.66	2.20	1.46	2.20
18	औरैया	5.230	20.920	8.3680	4.32	2.59	1.73	2.59
19	फर्रुखाबाद	4.435	17.740	7.0960	3.66	2.20	1.46	2.20
20	कन्नौज	0.905	3.620	1.4480	0.75	0.45	0.30	0.45
21	गोरखपुर	23.600	94.400	37.7600	19.50	11.70	7.80	11.70
22	महाराजगंज	31.750	127.000	50.8000	26.23	15.74	10.49	15.74
23	देवरिया	37.026	148.104	59.2416	30.59	18.35	12.24	18.35
24	कुशीनगर	33.221	132.884	53.1536	27.45	16.47	10.98	16.47
25	हमीरपुर	8.000	32.000	12.8000	6.61	3.97	2.64	3.97
26	झाँसी	1.812	7.248	2.8992	1.50	0.90	0.60	0.90
27	जालौन	2.921	11.684	4.6736	2.41	1.45	0.96	1.45
28	ललितपुर	5.150	20.600	8.2400	4.26	2.56	1.70	2.56
29	गोण्डा	43.601	174.404	69.7616	35.99	21.60	14.39	21.60
30	बलरामपुर	33.817	135.268	54.1072	27.94	16.76	11.18	16.76
31	बहराइच	15.120	60.480	24.1920	12.49	7.49	5.00	7.49
32	श्रावस्ती	4.664	18.656	7.4624	3.85	2.31	1.54	2.31
33	अयोध्या	5.475	21.900	8.7600	4.52	2.71	1.81	2.71

20/12/22

कुमशः 2/-

क्र०	जनपद	श्री १९८५ नये तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश @ Rs. 4.0 lacs/hectare सामान्य लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)						
		क्षेत्रफल हे०	घनराशि (कलाशमे)	कुल/अनुदान (कलाशमे)	अवमुक्त की जाने वाली घनराशि (कलाशमे)			कुल अवमुक्त घनराशि केवल केन्द्रांश
					कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	अम्बेडकर नगर	10.600	42.400	16.9600	8.76	5.26	3.50	5.26
35	सुल्तानपुर	2.899	11.596	4.6384	2.40	1.44	0.96	1.44
36	अमेठी	17.700	70.800	28.3200	14.62	8.77	5.85	8.77
37	बाराबंकी	23.782	95.128	38.0512	19.65	11.79	7.86	11.79
38	बरेली	12.555	50.220	20.0880	10.37	6.22	4.15	6.22
39	बदायूँ	4.600	18.400	7.3600	3.80	2.28	1.52	2.28
40	शाहजहाँपुर	6.294	25.176	10.0704	5.20	3.12	2.08	3.12
41	पीलीभीत	2.000	8.000	3.2000	1.65	0.99	0.66	0.99
42	बस्ती	7.580	30.320	12.1280	6.26	3.76	2.50	3.76
43	संतकबीर नगर	1.100	4.400	1.7600	0.91	0.55	0.36	0.55
44	सिद्धार्थ नगर	21.001	84.004	33.6016	17.35	10.41	6.94	10.41
45	हापुड़	5.200	20.800	8.3200	4.30	2.58	1.72	2.58
46	बुलन्दशहर	5.390	21.560	8.6240	4.45	2.67	1.78	2.67
47	मुरादाबाद	6.159	24.636	9.8544	5.09	3.05	2.04	3.05
48	अमरोहा	3.669	14.676	5.8704	3.03	1.82	1.21	1.82
49	रामपुर	6.564	26.256	10.5024	5.42	3.25	2.17	3.25
50	बिजनौर	4.500	18.000	7.2000	3.72	2.23	1.49	2.23
51	समल	3.900	15.600	6.2400	3.22	1.93	1.29	1.93
52	लखनऊ	6.770	27.080	10.8320	5.59	3.35	2.24	3.35
53	उन्नाव	7.768	31.072	12.4288	6.42	3.85	2.57	3.85
54	रायबरेली	14.834	59.336	23.7344	12.26	7.36	4.90	7.36
55	सीतापुर	8.959	35.836	14.3344	7.40	4.44	2.96	4.44
56	हरदोई	8.350	33.400	13.3600	6.90	4.14	2.76	4.14
57	लखीमपुरखीरी	12.325	49.300	19.7200	10.18	6.11	4.07	6.11
58	चन्दौली	25.960	103.840	41.5360	21.45	12.87	8.58	12.87
59	गाजीपुर	7.483	29.932	11.9728	6.18	3.71	2.47	3.71
60	जौनपुर	16.320	65.280	26.1120	13.48	8.09	5.39	8.09
61	मिर्जापुर	13.400	53.600	21.4400	11.07	6.64	4.43	6.64
62	सोनभद्र	1.450	5.800	2.3200	1.20	0.72	0.48	0.72
63	मदोही	1.767	7.068	2.8272	1.46	0.88	0.58	0.88
64	सहारनपुर	11.167	44.668	17.8672	9.23	5.54	3.69	5.54
65	मुजफ्फरनगर	5.370	21.480	8.5920	4.44	2.66	1.78	2.66
66	शामली	1.798	7.192	2.8768	1.49	0.89	0.60	0.89
	प्रदेश योग	682.688	2730.752	1092.3008	564.00	338.40	225.60	338.40

28/12/22

कुल केन्द्रांश की अवमुक्त घनराशि को हीनकालीन भवितव्य लायु चालीसवर्ष (मज)

(प्रधानमंत्री नरस्य संपदा योजना (पीएमएसपीएसवाई0) 2020-21

वृहद आर0एमएस0/वृहद वायुकेलाक / Rs. 50.0 lacs/unit

सामान्य लागायी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आजमगढ	1	50.00	20.00	12.00	8.00	12.00
2	गोरखपुर	1	50.00	20.00	12.00	8.00	12.00
3	अम्बेडकर नगर	2	100.00	40.00	24.00	16.00	24.00
4	बाराबंकी	6	300.00	120.00	72.00	48.00	72.00
5	मेरठ	1	50.00	20.00	12.00	8.00	12.00
6	देवरिया	1	50.00	20.00	12.00	8.00	12.00
7	मिर्जापुर	2	100.00	40.00	24.00	16.00	24.00
	प्रदेश योग	14	700.00	280.00	168.00	112.00	168.00

28/01/2022

18

18

18

18

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020-21

क्र०	जनपद	मीठे जल में वायो फलाक तालाब निर्माण / Rs. 14.0 lacs/(0.1)hectare					
		सामान्य लाभार्थी (कियाचयन वर्ष 2021-22)					
		संख्या	धनराशि/टीपीओ क.लाब में	देय कुल/अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल केन्द्रांश
1	2	3	4	5	केन्द्रांश	राज्यांश	8
1	मथुरा	2	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
2	अलीगढ़	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
3	हाथरस	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
4	आजमगढ़	2	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
5	मऊ	7	98.000	39.200	23.520	15.680	23.520
6	प्रयागराज	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
7	फतेहपुर	2	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
8	प्रतापगढ़	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
9	कानपुर नगर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
10	औरैया	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
11	फर्रुखाबाद	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
12	गोरखपुर	2	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
13	महाराजगंज	6	84.000	33.600	20.160	13.440	20.160
14	देवरिया	5	70.000	28.000	16.800	11.200	16.800
15	कुशीनगर	10	140.000	56.000	33.600	22.400	33.600
16	बांदा	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
17	हमीरपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
18	महोबा	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
19	झोंसी	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
20	जालौन	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
21	ललितपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
22	गोण्डा	2	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
23	बलरामपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
24	बहराइच	2	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
25	अम्बेडकर नगर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
26	अमेठी	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
27	बरेली	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
28	मेरठ	2	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
29	हापुड़	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
30	बागपत	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360

20.11.22

क्र०	जनपद	मीठे जल में बायो फलाक तालाब निर्माण / Rs. 14.0 lacs/(0.1)hectare सामान्य लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)					
		संख्या	घनराशि/टीपीओ मी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त घनराशि केवल केन्द्रांश
					केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	गाजियाबाद	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
32	बुलन्दशहर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
33	मुरादाबाद	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
34	अमरोहा	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
35	रामपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
36	बिजनौर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
37	लखनऊ	2	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
38	उन्नाव	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
39	चन्दौली	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
40	गाजीपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
41	जौनपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
42	मिर्जापुर	10	140.000	56.000	33.600	22.400	33.600
43	सोनभद्र	8	112.000	44.800	26.880	17.920	26.880
44	भदोही	4	56.000	22.400	13.440	8.960	13.440
45	सहारनपुर	3	42.000	16.800	10.080	6.720	10.080
46	मुजफ्फरनगर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
47	शामली	1	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
	प्रदेश योग	100	1400.000	560.000	336.000	224.000	336.000

20/1/22

(कुल अवमुक्त घनराशि रुपये तीन लाख दो हजार मात्र)

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएमएसवाई0) 2020-21 मध्याकार आर0एम0एस0 / मध्याकार वायाफलाक / Rs. 25.0 lacs/unit सामान्य लाभार्थी)							
क्रमांक	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रु लाख में)
1	2	3	4	5	केन्द्रांश	राज्यांश	8
1	मऊ	2	50.00	20.00	12.00	8.00	12.00
2	कानपुर नगर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	6.00
3	कानपुर देहात	1	25.00	10.00	6.00	4.00	6.00
4	महाराजगंज	1	25.00	10.00	6.00	4.00	6.00
5	कुरीनगर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	6.00
6	अमेठी	1	25.00	10.00	6.00	4.00	6.00
7	मेरठ	1	25.00	10.00	6.00	4.00	6.00
8	सहारनपुर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	6.00
	प्रदेश योग	9	225.00	90.00	54.00	36.00	54.00

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) 2020-21)							
		लघु फीड मिल / Rs. 30.0 lacs/unit					
		सामान्य लाभार्थी					
क्रमांक	जनपद	संख्या	घनराशि/टीपीसी	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवयुक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुशीनगर	1	30.00	12.00	7.20	4.80	7.20

प्र. २२

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2020-21 Annexure-

वृहद फीड मिल / Rs. 200.00 lacs/unit												
सामान्य लाभार्थी												
क्रम	जनपद	संख्या	घनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		प्रथम किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)	द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		कुल अवमुक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मेरठ	1	200.00	80.00	48.00	32.00	19.20	12.80	32.00	28.80	19.20	28.80

✓  

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) 2020-21

annexure-

फीड प्लांट / Rs. 650.00 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किशत के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		प्रथम किशत के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)	द्वितीय किशत के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		कुल अवमुक्त अनुदान केवल (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बाराबंकी	1	650.00	260.00	156.00	104.00	62.40	41.60	104.00	93.60	62.40	93.60
2	लखनऊ	1	650.00	260.00	156.00	104.00	0.00	0.00	0.00	156.00	104.00	156.00
		2	1300.00	520.00	312.00	208.00	62.40	41.60	104.00	249.60	166.40	249.60

28/01/2022